वाणिज्य अ.ज.– 863

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र. / अ.वि.वि.नि.लि. / अति.मु.अ. (मुख्यालय.) / अ.अ.–II / 2022–23 / प्रे 1058 दि: 15-06-2022

आदेश

विषय : "Tourism एंव Hospitality Sector को Industry Sector" के रूप में पूर्ण मान्यता दिये जाने के संबंध में संशोधित दिशा–निर्देश ।

पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट भाषण की अनुपालना में Tourism एंव Hospitality Sector को Industry Sector के रूप में पूर्ण मान्यता देने हेतु पर्यटन संबंधी गतिविधियों को औद्योगिक श्रेणी में शामिल किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश आदेश संख्या वाणिज्य अ.ज.– 858 दिनांक 31.03.2022 जारी किये गये थे ।

इसी क्रम में निम्न संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1 पर्यटन गतिविधियों से संबंधित उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन अघरेलू श्रेणी में ही रहेगा एंव अनुदान हेतु नया टैरिफ कोड जनरेट किया जावेगा । जिसके अनुसार उपभोक्ता का वर्तमान में चालू अघरेलू श्रेणी कनेक्शन एंव औद्योगिक श्रेणी के कनेक्शन की प्रचलित विद्युत दरों की राशि का अन्तर उपभोक्ता को अनुदान के रूप में दिया जावेगा ।

2 संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ऑनलाईन / ऑफलाईन प्रस्तुत किये जाने पर कनेक्शन की श्रेणी परिवर्तन (अघरेलू से औद्योगिक) न किया जाकर संबंधित उपखण्ड कार्यालय द्वारा उपभोक्ता के कनेक्शन के टैरिफ कोड में उपरोक्तानुसार आवश्यक परिवर्तन कर बिलिंग एजेंसी को भेजना सुनिश्चित किया जावें ।

सभी संबंधित अधिकारी उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

Baldi

(एम.सी. बाल्दी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर

d./XEN-II/Comml. Order hindi